संख्या–218 / **VI** / 2005–51(पर्य0)2003 टी0सी0

प्रेषक,

ए.के. घोष
उपर सचिव
उत्तराचंल शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
उत्तरांचल, देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दि0 11 मार्च, 2005

विषय :–वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता मद हेतु स्वीकृत धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 268 / प0अ0 / 2004–51 (पर्य0) 2003, दिनांक 26 अप्रैल 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग हेतु 20– सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता मद में रू0 2.00 करोड़ (दो करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– यदि स्वीकृति की जा रही धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन मदों हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत किया गया हो उसे हेतु पुनः धनराशि कदापि स्वीकृत न किया जाय। इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –3452 पर्यटन–सामान्य–आयोजनागत–001– निदेशन तथा प्रशासन–03–उत्तरांचल राज्य पर्यटन विकास परिषद–00–20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

8– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–773/ वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 11 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या–218/**VI**/2005–51(पर्य0)2003 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3
5. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त
6. अपर सचिव नियोजन
7. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन
8. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तरांचल शासन
9. निदेशक एनआईसी उत्तरांचल
10. गार्ड फाईल।

भवदीय

ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या–708 / **VI** / 2004–143(पर्य0)2002

प्रेषक,

ए.के. घोष
उपर सचिव
उत्तराचंल शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन – अनुभागः देहरादूनः दिनांक 8 अक्टूबर 2004

विषय :–चालू निर्माण कार्यो हेतु एकमुश्त धनराशि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– 213 / 2–6–215 / 2004–05 दिनांक 23 अगस्त 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने कहा निदेश हुआ है कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के स्वायत्तशासी स्वरूप को देखते हुये चालू निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2004–05 के आयोजनागत आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 500 लाख (रूपये पांच करोड मात्र) एक मुश्त उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के उपयोगार्थ आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह धनराशि केवल चालू निर्माण कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

2– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिससे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त धनराशि के विपरीत योजनाओं की स्वीकृति अपनी प्राथमिकताएं तय करते हुए उस पर पर्यटन परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करके धनराशि व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है, मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

5– वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण इकाई के अधिशासी अभियंता उत्तरदायी होंगे।

7– प्रत्येक योजना में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक साइनेज सीापित कर दिया जायेगा, जिसमें कार्य का पूर्ण विवरण एवं उत्तरांचल पर्यटन के लोगों सहित इंगित किया जायेगा, जैसा कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् द्वारा प्रत्येक निर्माण इकाई को इंगित किया जा चुका है।

8– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्ग लेखाशीर्षक 5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104 संवर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सैक्टर–0447– निर्माण कार्य चाूल –24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

9– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या 1439/वि0अनु0–3/2004 दिनांक अक्टूबर 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय
ह0/–
(ए.के. घोष)
अपर सचिव

पृ0प0सं0– प0अ0/2004–43 पर्य/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल।
4. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन।
5. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
6. वित्त अनुभाग–3।
7. नियोजन अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

भवदीय
ह0/–
(ए.के. घोष)
अपर सचिव

संख्या–452 / **XXVII(1)** / 2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव वित्त
उत्तराचंल शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनु0–1 देहरादून : दिनांक 5 अप्रैल 2005

विषय :–शासकीय निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय निर्माण कार्यो के संपादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के चयन/निर्धारण के सम्बन्ध में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्णय लिया गया है:–

शासकीय निर्माण कार्यो के लिए प्रदेश की निर्माण इकाईयों की तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता के आलोक में निर्माण एजेन्सियों के विस्तार पर रोक लगाने हेतु आवश्यक है कि राज्य के बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को उनके आगणन पर अब कोई भी नया निमार्ण कार्य स्वीकृत न किया जाये। लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निर्माण कार्यों की क्षमता के दृष्टिगत इनसे अधिक निर्माण कार्य कराये जायं। साथ ही उत्तराखण्ड के राजकीय निगमों में प्रमुख रूप से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को, जिन्हें सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु भी गठित किया गया है, से अधिक से अधिक निर्माण कार्य कराया जाये। गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की कार्य क्षमता को देखते हुए इनसे भी निर्माण कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत राजकीय निर्माण कार्यों हेतु उक्त निर्माण एजेन्सियों में से चयन के लिए निम्न निर्माण सिद्धान्तों/मापदण्डों का अनुपालन कराया जाय:–

क– रू0 200.00 लाख तक के सभी भवन निर्माण कार्य (मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवन) उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड राज्य के निगम एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कराये जा सकते हैं।

ख– रू0 200.00 लाख से अधिक एवं रू0 800.00 लाख तक के (मानकीकृत भवन निर्माण कार्य) किसी भी निर्माण एजेन्सी से कराया जा सकता है, परन्तु राज्य के बाहर की निर्माण एजेन्सी को न्यूनतम टेण्डर के आधार पर ही निर्माण कार्य आबंटित किये जाय।

ग– रू0 200.00 लाख से अधिक गैर मानकीकृत भवन निर्माण कार्य तथा रू0. 800.00 लाख से अधिक के समस्त भवन निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम से आगणन प्राप्त कर निविदा के माध्यम से प्रतियोगिता स्पर्धा के आधार पर कराया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम धनराशि का आंकलन निगम को देय सेन्टेज चार्जेज को घटाकर किया जायेगा।

2. कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से एक स्थान पर प्रस्तावित समस्त निर्माण कार्य एक ही कार्यदायी संस्था से कराया जाये। यदि किसी कारणवंश निर्माण कार्य एक कार्यदायी संस्था को देने से निर्धारित समयान्तर्गत निर्माण कार्य पूरा न कराया जा सके तो प्रशासनिक विभाग एक से अधिक कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु आबद्ध कर सकता है, परन्तु यह आबद्धता ऐसी होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक निर्माण इकाई को निर्माण कार्य पूरा करने में दूसरी निर्माण इकाई पर किंचित मात्र भी निर्भर न रहना पड़े।

3. निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेन्सियों द्वारा तैयार किया गया आंगणन पूरी तरह लोक निर्माण विभाग की दरों पर आधारित होना चाहिए। प्रतिवर्ष मानक दरों के निर्धारण हेतु मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, की एक समिति गठित की जायेगी, जिसके द्वारा निर्धारित मानक दरों की सूचना नियमित रूप से सभी सम्बन्धित को दी जायेगी।

4. मानकीकृत भवन की विशिष्टयां लोक निर्माण विभाग द्वारा इन भवनों के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप प्रत्येक कार्यदायी संस्था द्वारा अपने आंगणन में समावेशित किया जाना होगा। यथासम्भव इन मानकीकृत भवनों के मानचित्र लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्र पर ही आधारित होगें।

5. निर्माण कार्य आवंटन के समय ही निर्धारित समय तथा लागत, जिसके अन्दर कार्य पूरा होना है, पारस्परिक विचार–विमर्श द्वारा तय कर लिया जाना चाहिए और तदनुसार निर्माण हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित प्रत्येक विभाग द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में जो निर्माण कार्य पूर्व में जिस कार्यदायी संस्था को आवंटित किया जा चुका है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन इस निर्णय के परिणाम स्वरूप नहीं किया जायेगा। केवल डेबिटेबिल कार्य की स्थिति उत्पन्न होने पर ही निर्माण दायी संस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। यथासम्भव स्वीकृत आंगणन के आधार पर तैयार किये गये विस्तृत आंगणन के अनुरूप ही पूर्व स्वीकृत निर्माण पूरे करा लिए जाये और उनमें किसी प्रकार का संशोधन केवल अपरिहार्य स्थिति में ही कराये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

6. उत्तराखण्ड के बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य टेण्डर के आधार पद दिए जाय एवं उत्तराखण्ड की कार्यदायी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाय।

7. समस्त निर्माण कार्य निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दारों द्वारा ही सभी निर्माण एजेन्सियों द्वारा कराये जायेंगे। किसी भी दशा में आगणन के आधार पर कार्य का सम्पादन नहीं कराया जायेगा।

8. संशोधित आगणन का पुनः संशोधित आगणन स्वीकार न किए जाय।

9. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के चयन संबंधी आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे, अर्थात ऐसे मामले पुनरीक्षित नहीं किए जायेंगें, जहां कार्यदायी संस्था का पूर्व से निर्धारण हो चुका है।

10. विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य का अनुश्रवण भी अत्यन्त आवश्यक है। निर्माण कार्य कराने वाले सभी प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि उनके द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए जायं एवं कार्यदायी संस्था द्वारा भी नोडल अधिकारी नामित किए जायं जो निर्माण कार्य का संयुक्त रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर तुरन्त विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यथाशीध्र भवन आदि विभाग द्वारा निर्माण एजेन्सी से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित होगा। विभागीय सचिव के स्तर पर कम से कम प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समय से निर्माण कार्य पूरा किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

भवदीय
ह0/–
(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या–452/**XXVII(1)**/2005 एवं तद्दिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड ।
2. मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रबन्धक निदेशक, पेयजल विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
6. प्रबन्धक निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक कुमायूं मण्डल विकास निगम नैनीताल।
8. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।

भवदीय
ह0/–
(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या–जी0आई0–874/7–1–2005–800**(626)**/2003

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग देहरादून दिनांक 12 अप्रैल 2005

विषय :–जनपद– चमोली के अंतर्गत स्थान गोबिन्दघाट में पार्किंग स्थल न0–2 के निर्माण हेतु 0.50 हे0 वन भूमि का पर्यटन विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2702/1जी–528(चमोली) दिनांक 05.04.05 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली के अन्तर्गत स्थान गोबिन्दघाट में पार्किंग स्थल न0 2 के निर्माण हेतु 0.50 हे0 वन भूमि का पर्यटन विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/09/64/2003/एफ0सी0 दिनांक 27.02.04 में प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर उसमें उल्लिखित शर्तों का समावेश करते हुए निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं:–

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तद्र्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रस्तावक विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रस्तावक विभाग को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
5. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभियकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. सम्बन्धित वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुंचायें, इसके लिए प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य ईधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।
7. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।

8. निर्माण कार्य से पूर्व राज्य सरकार के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकृत अधिकारी/विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
9. प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।
10. प्रस्तावक विभाग द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. यदि लागू हो तो पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना 1994 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नयी दिल्ली से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
12. प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
13. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 202/95 में दाखिल आई.ए. संख्या 566 में पारित आदेश दिनांक 12–11–2002 व इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 329/7 (व.भू.ह.) –2003–85(43)/2003 दिनांक 31–10–2003 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही करने से पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से एन.पी.वी. की धनराशि एकत्रित कर उक्त धनराशि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (CAMPA) में स्थानान्तरित किया जायेगा व इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को भी सूचित किया जायेगा।
14. प्रस्तावित कार्य आरम्भ होने से पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. वी) की निर्धारित राशि सम्बद्ध कोष में जमा करा दी गयी है।
15. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि पर प्रस्तावक विभाग के व्यय पर आर. सी.सी. पिलरों से (फोर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीमांकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping sites) चयनित कर किया जायेगा, ताकि वहां पर विद्यमान वनस्पति को किसी प्रकार की क्षति न हो।

2. यह आदेश उत्तराखण्ड शासन के वन एवं पर्यावरण विभाग की कार्यालय ज्ञाप सं0 314/7–1–2003–26 (37)/ 2003 दिनांक 27.08.03 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

संख्या–जी0आई0–874/7–1–2005–800**(626)**/2003 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी चमोली
5. प्रभागीय वनाधिकारी नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद पटेलनगर देहरादून।

आज्ञा से
ह0/–
(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

संख्या–263 / **(VI)** / 2005–58(पर्य0)2004

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
पटेलनगर देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 22 मार्च 2005

विषय :–वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत वन भूमि की वानिकी कार्यों के लिए प्रत्यावर्तन के तहत एन0पी0वी0 की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 613 / 2–5–80 / 2004 दिनांक 04.03.05 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत वन भूमि की वानिकी कार्यों के लिए प्रत्यावर्तन के तहत एन0पी0वी0 की धनराशि रूपये 36.51 लाख (रू0 छत्तीस लाख इकावन हजार मात्र) को संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का आहरण शासनादेश सं0 634 VI /2004–58 पर्य0 / 2004 दिनांक 10.09.04 में इंगित शर्तो के अधीन ही किया जायेगा।

4– प्रस्ताव में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक–5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय –80–सामान्य–आयोजनागत –104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर 19–भूमि अध्यापित/क्रय पर्यटक आवास गृहों/पर्यटन विकास योजनाओं के लिए 42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

7– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0839/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 19 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– **VI**/2005–06 (पर्य0)2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. जिलाधिकारी चमोली।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी गोपेश्वर।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
11. नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय वन विभाग, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग का विवरण पत्र 2004–05

नियंत्रण अधिकारी निदेशक पर्यटन उत्तरांचल देहरादून।

अनुदान संख्या 26 (धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की सकल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
आयोजनागत 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104 सम्वर्द्धन तथा प्रचार –04–राज्य सेक्टर–47 निर्माण कार्य चालू 24–वृहत् निर्माण कार्य 8,00,00	3,52,25	4,11,24	36,51(क)	आयोजनागत –5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 104 सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04 राज्य सेक्टर–19 भूमि अध्याप्ति/क्रय पर्यटक आवास गृहो/ पर्यटन विकास योजनाओं के लिए 42 अन्य व्यय 36,51(ख)	46,51	–	(क) आवश्यकता न होने के कारण। ख) आय–व्ययक प्राविधान पर्याप्त न होने एवं आवश्यकता अधिक होने के कारण।
रू0 8,00,00	3,52,25	4,11,24	36,51	36,51	46,51	–	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155, 156, में उल्लिखित प्राविधान एवं सीमाओं का उल्लधंन नहीं होता है।

ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या 263 वि0अनु0–3/2005
देहरादूनः दिनांक 22 मार्च 2005

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।

पुर्नविनियोग स्वीकृत
ह0/–
(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव वित्त

संख्या 263/**VI**/2005–58(पर्य0)2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–3

आज्ञासे
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या–299 / **(VI)** / 2005–3(11)2005

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेलनगर देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 31 मार्च 2005

विषय :–पर्यटन परिषद के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण के अन्तर्गत जिला पर्यटन विकास कार्यालय देहरादून का उच्चीकरण/नवीनीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 640/2–6–465/2004 दिनांक 14.03.05 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला पर्यटन विकास कार्यालय देहरादून के उच्चीकरण/नवीनीकरण हेतु रू0 4.08 लाख के आगणनों के विरूद्ध टीएसी द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 3.24 लाख के (रू0 तीन लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि को डिपोजिट कार्य के रूप में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिस व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है। अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारों से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व सिलि का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् सिलि आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन ने जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मदों पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
12– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
14– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन परिषद के लिए आवासीय/अनावासीय भवनों को निर्माण–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
17– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के आशा0 सं.–1142/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 31 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या– **VI**/2004–3(11)2004/तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादनू।
3. जिलाधिकारी देहरादून।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3,
6. श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव वत्ति।
7. अपर सचिव नियोजन।
8. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
10. निवेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
11. गार्ड फाईल।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या–270 / **VI** / 2005–3(3)टी0सी0 / 2004

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेलनगर देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 31 मार्च 2005

विषय :–पर्यटन परिषद की नई योजनाओं के अन्तर्गत धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 661 / 2–6–471 / 05 दिनांक 19.03.05 एवं आपके पत्र संख्या 668 / 2–6–471 / 05 दिनांक 23–3–2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं हेतु रू0 110.22 लाख के आगणनों के विरुद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 87.92 लाख के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रुपये 38.58 लाख (रुपये अडतीस लाख अठावन हजार मात्र) की धनराशि को डिपोजिट के रूप में कराये जाने हेतु व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.स.	योजना का नाम	योजना की मूल लागत	टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	भवली–अल्मोडा मार्ग पर रामगाड स्थिति झरने का पर्यटन विकास	34.93	30.50	10.00	ग्रामीण अभियन्त्रण संवा, नैनीताल
2	ब्रहमस्थली बधाणथली का पर्यटन विकास	46.31	38.44	10.00	तदैव
3	ग्राम पवेला के नागराजा मंदिर का सौन्दर्यीकरण	3.26	2.78	2.78	खण्ड विकास अधिकारी, देव प्रयाग
4	गोमुख में लक्ष्मीनारायण मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	5.20	4.05	4.05	खण्ड विकास अधिकारी, देवप्रयाग
5	चन्द्रबदनी में पार्किंग स्थल एवं यात्री शेड का निर्माण	20.52	12.15	11.78	खण्ड विकास अधिकारी, देवप्रयाग
	योग	110.22	87.92	38.58	

(रुपये अडतीस लाख अठावन हजार मात्र)

2. मन्दिरों का अनुरक्षण सम्बन्धित मन्दिर समिति व अन्य कार्यों का अनुरक्षण सम्बन्धित नगर/जिला पंचयात आदि द्वारा किया जायेगा। और इसके लिए अलग से कोई धनराशि नहीं दी जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उक्त संस्थाओं/समितियों से इसकी लिखित बचनबद्धता प्राप्त कर ली जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
4. आगणन मै उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि ने किया जाय।
6. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
8. कार्य कराने से पूर्व स्थल को भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
10. निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–05 तक पूर्व उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
12. कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
13. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
14. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

16. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या 26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक 5352–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर –49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
17. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1105/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 31 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या–270/ **VI**/2005–3(3)पर्य 2004 टी0सी0/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी टिहरी/नैनीताल।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी टिहरी/नैनीताल।
5. वित्त अनुभाग–3,
6. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्राी जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
11. गार्ड फाईल।

भवदीय

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या–230 / **VI** / 2005–3(8)2005

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेलनगर देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 31 मार्च 2005

विषय :–वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत यात्रा मार्गों पर टैंक स्टैण्ड पोस्ट चरही नव निर्माण यात्रा मार्गों की पेयजल योजनाओं का रख–रखाव हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून के अ0शा0 पत्र सं0 4025 / यात्रा मार्ग पे0यो0 / 04–05 दिनांक 28.2.05 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत यात्रा मार्गों पर टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट चरही नव निर्माण, यात्रा मार्गों की पेयजल योजनाओं का रख–रखाव हेतु क्रमशः 69.45 लाख एवं रू0 30.20 लाख कुल रू0 99.65 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत क्रमशः रू0 68.10 लाख एवं 27.12 लाख अर्थात कुल रू0 95.22 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 19.50 लाख (रू0 उन्नीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को डिपोजिट के रू॰ में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कडाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति / अनुमोदित दरों का जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
11– उक्त कार्य के भविष्य में अनुरक्षण का दायित्व जल संस्थान का ही होगा। और मासिक रूप से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगकिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।
13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
14– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16– कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु पर्ट चार्ट तैयार किया जायेगा व इसे प्रथम किश्त से आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण ईकाईयों का सुदढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जायेगी।
17– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य आयोजनागत–104 सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।
18– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1014/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 31 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या– / **VI**/2005–3(8) 2005/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
4. जिलाधिकारी उत्तरकाशी/चमोली/ पौडी/टिहरी।
5. जिला पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी/चमोली/पौडी/टिहरी।
6. वित्त अनुभाग–3,
7. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त।
8. अपर सचिव, नियोजन।
9. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या–298 / **VI** / 2005–3(14)2004

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 31 मार्च 2005

विषय :–ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 644 / 2–6–449 / 04–05 दिनांक 16 मार्च, 2004 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं हेतु रू0 18.52 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव रू0 14.54 लाख (रू0 चौदह लाख चौवन हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में इतनी ही धनराशि के व्यय डिपोजिट के रूप में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रस.	योजना का नाम	मूल लागत	टी.ए.सी. द्वारा परिक्ष्णोंपरांत संस्तुत / अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण ईकाई का नाम
1	कैलाशपुर में शिवालय पर शिवालय मंदिर का सौन्दर्यीकरण विका खण्ड जोशीमठ	5.35	3.66	3.66	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा चमोली
2	ग्राम नीति में शिवालय मंदिर का सौन्दर्यीकरण	13.18	10.88	10.88	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा चमोली
	योग	18.52	14.54	14.54	

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकारी नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरों शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।
9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए। एक मद का दूसरी मन में व्यय कदापि न किया जाए।
10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जायं।
11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति व विवरण एवं उपयेागिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
12– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी में व्यय कदापि न किया जाय।
14– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्ट कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगों सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने से सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।
15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16– निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही निर्माण इकाई द्वारा कार्यों को पूर्ण कराने का एक समयबद्ध कार्यालय (पर्टचार्ट) प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसी के अनुरूप समयबद्ध आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण किये जायेंगे।
17– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452– पर्यटन पूंजीगत परिव्यय–80– सामान्य–आयोजनागत–796–ट्राइबल सब प्लान –02–अनुसूचित जाति/जनजाति के बिना स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–01–पर्यटन विकास की नई परियोजनायें–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
18– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 1010/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 31 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या– / **VI**/2005–3(14) 2004/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी चमोली।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी चमोली।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या–297 / VI / 2005–10 पर्य0 / 2001

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 31 मार्च 2005

विषय :–पर्यटन की नई योजनाओं के अन्तर्गत गुजुडूगढ़ी (नैनीडांडा) का सौन्दर्यीकरण हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 224 / 2–6–371 / 04–05 दिनांक 26 अगस्त 2004 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन की नई योजनाओं के अन्तर्गत मुजुडूगढ़ी (नैनीडांडा) व सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 15.53 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव रू0 14.80 लाख की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 10.00 लाख की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि को डिपोजिट के रूप में कराये जाने हेतु व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकारी देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षक अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जायं।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए। एक मद का दूसरी में व्यय कदापि न किया जाए।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10– स्वीकृति की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति व विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

11– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

12– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मदों में व्यय कदापि न किया जाय।

13– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगों सहित कार्य का विवरण भी इंगित करना दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना शासन का उपलब्ध करायेंगे। और कार्य पूर्व होने पर कार्य की भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही निर्माण एजेन्सी को आंशिक धनराशि अवमुक्त की जायेगी और पूर्ण धनराशि कार्य के मानक एवं संस्तुति के अनुरूप पूर्ण होने की उनके भौतिक पुष्टि के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।

14– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

15– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80– सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49– पर्यटन विकास की नई योजनायें 24–वृहत्त निर्माण कार्य की मानक मद के नामें डाला जायेगा।

16– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–2054/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 31 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0घोष)
अपर सचिव

संख्या– / **VI**/2005–10 पर्य0/2001/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौडी।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी पौडी।
5. वित्त अनुभाग–3,
6. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या–250 / VI / 2005–3(3)पर्य0 / 2004

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेलनगर देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 31 मार्च 2005

विषय :–पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 653 / 2–6–449 / 04–05 दिनांक 18–3–2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भी राज्यपाल महोदय पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं हेतु रू0 261.56 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रु0 199.36 लाख के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 79.88 लाख (रु0 उन्नासी लाख अठासी हजार मात्र) की धनराशि को डिपोजिट के रूप में कराये जाने हेतु व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स.	योजना का नाम	योजना की मूल लागत	टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	पदमापुरी जनपद नैनीताल में 20 शैयाओं के पर्यटक आवास गृहों का निर्माण	102.69	87.00	20.00	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
2	देवलसारी में रूद्रेश्वर महादेव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	18.32	13.57	8.00	खण्ड विकास अधिकारी नौगांव
3	बीरपुर डुण्डा में कचडू देवता मंदिर का सौन्दर्यीकरण	6.49	5.47	5.47	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तरकाशी
4	समर में सौन्दर्यीकरण का कार्य	20.25	15.00	10.00	नगर पालिका परिषद् गोपेश्वर
5	पर्यटन स्थल सांकरी सोंड में सोमेश्वर देवता का सौन्दर्यीकरण व विकास	30.25	23.01	10.00	जिला पंचायत उत्तरकाशी
6	कवणावन में झील का निर्माण	49.61	33.67	10.00	उत्तरांचल पयेजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
7	पर्यटन ग्राम खिर्सू के अन्तर्गत पैदल मार्गों का सुधार एवं सौन्दर्यीकरण	24.86	15.23	10.00	खण्ड विकास अधिकारी खिर्सू
8	हरकीदून के अन्तर्गत तालुका झील का सौन्दर्यीकरण	4.77	3.08	3.08	जिला पंचायत उत्तरकाशी
9	औसला के कण्डारा देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	4.32	3.33	3.33	जिला पंचायत उत्तरकाशी
	योग	261.56	199.36	79.88	

(रुपये उन्नासी लाख अठासी हजार मात्र)

2– मंदिर के अनुरक्षण संबंधित मंदिर सीमित व अन्य कार्यों का अनुरक्षण सम्बन्धित कर्मवद्ध पंचायत/कु0म0दि0 में आदि द्वारा किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने को अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका का नियम या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे व्यय सम्बन्धित का स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कडा से अनुपालन किया जाय।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों व जो दरों शिडूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि किया जाय।

7– एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्यक कर लें निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक दूसरी भट में व्यय कदापि न किया जाए।

11– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन की उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकार धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।

13– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

14– आगणन में जि मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद दूसरी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लायी जाए।

15– निर्माण समग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशााल से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

16– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

17– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–412–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाल जायेगा।

18– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–986/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 31 मार्च, 2000 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे है।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– /**VI**/2005–3(3) पर्य0 2004 टी0सी0/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौडी, नैनीताल/उत्तरकाशी।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी पौडी/नैनीताल/उत्तरकाशी।
5. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त।
6. अपर सचिव, नियोजन।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या–171/VI/2005–292 पर्य0/2003

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 30 मार्च 2005

विषय :–जिला योजना के अंतर्गत धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय गोविन्द वन्य जीव विहार के अंतर्गत ओसला/सिमा से कल्लकती धार तक पर्यटक मार्ग का सौंदर्यीकरण एवं विकास हेतु रू0 1.50 लााख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परिक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 1.00 लाख के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में इतनी ही धनराशि को डिपोजिट के रूप में व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकारी नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाएं।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

12– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

14– निर्माण सामग्री का उपयेाग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

16– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय0–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना–07–पर्यटक सीलों का सौंदर्यीकरण तथा सुविधायें–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

17– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 2025/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 30 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव

संख्या– /**VI**/2005–292 पर्य0 2003 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव

संख्या–294 / VI / 2005–3(6) / 2003

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेलनगर देहरादून।

पर्यटन अनुभागः

देहरादून : दिनांक 30 मार्च 2005

विषय :–जिला योजना के अंतर्गत धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3198 / 2–6–215 / 04–05 दिनांक 15.03.2005 के क्रम मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटक सिलों के सौन्दर्यीकरण / विकास हेतु निम्नलिखित योजनाओं हेतु रू0 27.09 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 21.34 लाख की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 रू0 12.93 लाख (रुपये बारह लाख तिरानब्बे हजार मात्र) की धनराशि को डिपोजिट के रूप में व्यय करने की भी संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र स.	योजना का नाम	योजना की मूल लागत	टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	राजबगठी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	2.07	1.81	1.00	जिला पंचायत चमोली
2	रैणी में काली मंदिर का सौन्दर्यीकरण	2.18	2.11	1.00	–तदैव–
3	शिव मंदिर कोठली का का सौन्दर्यीकरण	2.00	1.91	1.00	–तदैव–
4	कल्सारी तुगेश्वर मंदिर सौन्दर्यीकरण	2.00	1.75	1.00	–तदैव–
5	गुनिबाला मंदिर का सौन्दर्यीकरण	2.00	1.87	1.00	–तदैव–
6	चौड़ी सिमलासू देवी मंदिर सौन्दर्यीकरण	2.00	1.80	1.00	–तदैव–
7	खत्री मंदिर का सौन्दर्यीकरण	2.00	1.76	1.00	–तदैव–
8	शिव मंदिर धराली का सौन्दर्यीकरण	2.00	1.81	1.00	–तदैव–
9	भगवती मंदिर नैल सौन्दर्यीकरण	2.46	2.14	1.65	–तदैव–
10	लोहाघाट में टनकपुर पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्वागत द्वारों का निर्माण	1.00	0.80	0.80	नगर पंचायत लोहाघाट
11	लोहाघाट में शिवमंदिर पार्क का मरम्मत / सौन्दर्यीकरण	4.08	1.90	1.00	–तदैव–
12	लोहाघाट में रोड़वेज स्टेशन स्थित पार्क में सौन्दर्यीकरण	2.55	1.20	1.00	–तदैव–
13	लोहाघाट में पंचेश्वर मोड पर स्थित पार्क का विद्युतीकरण	0.75	0.48	0.48	
	योग	27.09	21.34	12.93	–तदैव–

(रुपये बारह लाख तिरानब्बे हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटन सीमा मद है व्य सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका का निर्माण या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है। ऐसी व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेश में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगायी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को संदर्भित करा दी जायेगी।

12– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुर्नरक्षण अनुमन्य नहीं होगी।

13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

14– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली लाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री का प्रयोग में लाया जाए।

15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

16– उपरोक्त देय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत व लेखार्शीषक 5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य– आयोजनागत–104– सम्बर्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना–07–पर्यटक सिलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें–42– अन्य व्यय व नाम डाला जायेगा।

17– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा सं0 988/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 29 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे है।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या– /**VI**/2005–3(6) 2004 /तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी चम्पावत/चमोली।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी चम्पावत/चमोली।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त विभाग
संख्या 121 / XXVII(3) / 2005
देहरादून : दिनांक : 28 मार्च, 2005

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–31, के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनावर्तक मानदेय रू0 375.00 (रुपये तीन सौ पचहत्तर) स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्री राज्यपाल महोदय मानदेय की उक्त दर को तात्कालिक प्रभाव से रू0 375.00 से बढ़ाकर रू0 750.00 (रुपये सात सौ पचास) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। यह मानदेय केवल रू0 6500–10500 के वेतनमान तक के कर्मचारियों / अधिकारियों को ही अनुमन्य होगा।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2, से 4 के सहायक नियम–31 में संशोधन यथा समय पृथक से किया जायेगा।

(राधा रतूडी)
सचिव, वित्त

संख्या–121(1) / XXVII(3) / 2005, तद्दिनांक।

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
7. रेजिडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0 / –

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त

संख्या 272 / VI / 2005–3(6)2004 टी0सी0

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
पर्यटन निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभाग : देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2005

विषय :– वित्तीय वर्ष 2004–05 में जिला अनुश्रवण समितियों से अनुमोदित पर्यटन विभाग की पर्यटन स्थलों के विकास / सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि का आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या 596, दिनांक 28 फरवरी 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजना के अन्तर्गत मल्ली राई (पौडी) भैरोनाथ (नागराज) मंदिर का सौन्दर्यीकरण जनपद पौड़ी गढ़वाल वित्तीय वर्ष 2004–05 में मूल आगणन रु0 6.88 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षपोहरान्त संस्तुत रू0 6.13 लाख (रूपया छः लाख तेरह हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुये इतनी ही धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है और ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर के ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नाम है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– उक्त योजना पर धनराशि आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपद हेतु आवंटित प्लान परिव्यय के अनुरूप ही हो अथवा सम्बंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

7– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस योजनाओं हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति न हुआ हो। इस हेतु सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

8– योजना/कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित निर्माण एजेन्सी उक्त कार्य स्थल पर इस आशय का एक साइन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्यक करा लें निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

12– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त जनपद के लिए जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो एवं इस सीमा तक परिव्यय भी अनुमोदित हो।

13– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

14– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

15– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–05 तक उपयोग कर लिया जायेगा अन्यथा अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

16– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या– 26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 07– पर्यटन सीलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

17– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–888/वित्त अनु0–5/2005 दिनांक 19 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या 272/**VI**/2005–3(6)2004 टी0सी0 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौडी।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी पौडी।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
12. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या 269 / VI / 2005–30 पर्य0 / 2003

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
पर्यटन निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 23 मार्च 2005

विषय :– जिला योजना के अन्तर्गत चालू योजनाओं की अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 643 / 2–6–215 / 2004–05 दिनांक 16 मार्च, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में सम्पूर्ण अवशेष रू0 4.83 लाख (रुपये चार लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्रस.	योजना का नाम	योजना की लागत (रु0 लाख में)	पूर्व में स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही सम्पूर्ण अवशेष धनराशि (लाख रु0 में)	निर्माण इकाई
1	जनपद चमोली मत्स्य केन्द्र बैरागणा को पर्यटन विकास	5.67	4.00	1.67	ग्रा0अभि0सेवा चमोली
2	जनपद चम्पावत पूर्णागिरी मंदिर में रेलिंग का निर्माण	12.25	11.18	1.07	कु0म0वि0नि0 नैनीताल
3	बाणासुर किले का सौन्दर्यीकरण	14.46	12.37	2.09	कु0म0वि0नि0 नैनीताल
	योग	32.38	27.55	4.83	

(रुपये चार लाख तिरासी हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनाओं जिला नियोजना एवं अनुव्यय समिति द्वारा अनुमोदित हो और उक्तानुसार जनपदवार भी प्लान परिव्यय अनुमोदित हो।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– वही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस योजनाओं हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति न हुआ हो। इस हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

8– योजना/कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित निर्माण एजेन्सी उक्त कार्य स्थल पर इस आशय का एक साइन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना तथा समय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जा, एक मद का दूसरा मद में व्यय कदापि न किया जाय।

12– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने सू पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पारित जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

13– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

14– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80– सामान्य आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–91– जिला योजना 07– पर्यटक स्थल का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें– 42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

16– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1041/वित्त अनु–3/2004 दिनांक 22 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या /VI/2005–30 पर्य0/2003 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी चमोली/चम्पावत।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी चमोली/चम्पावत।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या 273 / VI / 2005–3(3) / 2004 टी.सी.

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
पटेल नगर
देहरादून उत्तराखण्ड।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 23 मार्च 2005

विषय :– वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत पर्यटन विकास की नई योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–564 / 2–6–471 / 2004–05 दिनांक 17–02–2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत पर्यटन विकास की नई योजनाओं हेतु रूपये 223.12 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रू0 180.39 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में निम्नलिखित योजनाओं हेतु उनके समुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल रू0 100.41 लाख (एक करोड़ इक्तालिस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रस0	योजना का नाम	योजना का मूल आगणन	टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई का नाम
1	नन्दप्रयाग में टैक्सी स्टैंड का निर्माण	41.00	26.82	15.00	नगर पंचायत नन्दप्रयाग
2	नन्दप्रयाग में स्नानाघाट का निर्माण	21.00	11.80	11.80	तदैव
3	पर्यटक स्थल सीला, थैलीसैण में सौन्दर्यीकरण एवं मार्ग सुधार कार्य	12.62	9.05	5.00	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पौड़ी
4	नगर क्षेत्र देवप्रयाग में ड्रेनेज निर्माण, मरमत व सौन्दर्यीकरण कार्य	29.44	26.18	15.00	नगर पंचायत देवप्रयाग
5	देवप्रयाग में रामकुण्ड घाट का विकास एवं सौ0	68.00	57.23	20.00	तदैव
6	कीर्तिनगर में इन्दिरागांधी व अम्बेडर पार्क का सौ0	8.96	8.82	5.00	नगर पंचायत कीर्तिनगर
7	कीर्तिनगर में बाल्मिकी मंदिर का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण	4.40	4.38	4.38	तदैव
8	कीर्तिनगर में गगांदर्शन व जीर्णोद्धार	4.29	4.23	4.23	तदैव
9	ग्राम पपडियाणा पठियालधार में नन्दादेवी मंदिर परिसर का सौ0	14.87	13.74	10.00	नगर पालिका गोपेश्वर
10.	रूद्रनाथ मार्ग निर्माण ग्राम गंगोलगांव से चन्द्रकोटी तक	18.54	18.14	10.00	तदैव
	योग	223.12	180.39	100.41	

2– उक्त योजनाओं का रख रखाव संबंधित नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जायेगा और धनराशि के आहरण पूर्व इस संबंध में लिखित वचनबद्धता प्राप्त कर ली जायेगी।

3– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय

करने हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें।

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद व्यय कदापि न किया जाए।

11– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

12– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

13– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31–03–05 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीध्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें और उक्त विवरण देने के बाद ही आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष/दूसरी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

14– कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बंधित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त योजना/कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया गया है। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी उक्त कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना शासन को यथाशीर्ध उपलब्ध करायेगा।

15– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या 26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80– सामान्य आयोजनागत–104 सम्बर्धन तथा प्रचार–04– राज्य सेक्टर–49– पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24– वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

16– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–943/वित्त अनु0–3/05 दिनांक 21 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या /VI/2005–3 (3) 2004 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौडी टिहरी गढ़वाल।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी चमोली, पौडी, टिहरी गढवाल।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या –प0अ0/2004–12 पर्य/05

प्रेषक

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 31 मार्च 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2004–05 में पर्यटक आवास गृह मसूरी के निर्माण के अवशेष धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 580/6–1–30/04–05 दिनांक 24–2–05 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटक आवास गृह मसूरी के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में गढवाल मण्डल विकास निगम से अनाहरण की पुष्टि करते हुये इस सीमा तक सहमति प्रदान की जा सकती है कि धनराशि का उपयोग स्थापित नियम प्रक्रिया के अधीन करना आवश्यक है सरकारी विभाग (स्वायत्तशासी संस्था को छोड़कर) धनराशि सरकारी पी0एल0ए0 या बैंक में नही रख सकते है तथा गजट मैनुअल एवं वित्तीय विकास संग्रह के अनुसार ही कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या 266 / VI / 2005–3(9) / 2005

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेल नगर देहरादून उत्तराखण्ड।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2005

विषय :– चारधाम यात्रा व्यवस्था के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–660 / यात्रा व्यवस्था / 2005 दिनांक 19–3–2005 के संदर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चारधाम यात्रा व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रू0 72.54 लाख (रू0 वहत्तर लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्या 218 / VI / 2005–51(पर्य0)2003 टी0सी0 दिनांक 11 मार्च, 2005 द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के निवर्तन पर रखी गयी अनुदान मद की धनराशि रू0 200.00 लाख में से दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0स0	योजना का नाम	धनराशि
1	प्रीफ्रेबिलेटेड शौचालयों की संख्या 210	12.54 लाख
2	यात्राकाल के छः माह के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था तथा सफाई उपकरणों दवाईयों आदि के लिए	60.00 लाख
	योग	72.54 लाख

2– उक्त धनराशि आहरित कर आयुक्त गढ़वाल मण्डल को भुगतान की जायेगी जो कि धनराशि को अपने स्तर से फॉट कर सम्बन्धित स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायेगे।

3– उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इससे यथासम्भव संबंधित नगर पालिका या संस्था स्थाई सम्पत्ति उपकरण आदि के रूप में क्रय करेगें जो यात्रा हेतु अनवरत रूप में प्रयोग किये जा सकेंगे।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरे शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें।

11– परीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

12– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

13– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

14– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

15– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

16– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी दाम में व्यय कदापि न किया जाए।

17– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या : /VI/2005–3 (9) 2005 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
4. जिलाधिकारी गढ़वाल मण्डल।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या : 171 / VI / 2005–44 पर्य0 / 2004

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेल नगर देहरादून उत्तराखण्ड।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2005

विषय :– पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत धनावंट विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–579 / 2–6–423 / 04 दिनांक 24–2–2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं हेतु रू0 68.043 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 61.34 लाख के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 25.00 (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय करने की भी संहर्ष स्वीकृति रखते है।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रस.	योजना का नाम	योजना की मूल लागत	टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	भाटकोट पिथौरागढ में पार्क का निर्माण	34.81	30.78	10.00	नगर पालिका पिथौरागढ
2	गांधी चौक से कृष्णा केबिल और अम्बेडकर वाचनालय तक सी0सी0 रोड निर्माण	6.713	6.47	5.00	नगर पालिका पिथौरागढ
3	सौड केदाराकाठां पर्यटक स्थल का जीर्णोद्वार एवं पर्यटन विकास	15.00	14.05	5.00	राजाजी नेशनल पार्क देहरादून
4	भगवती मंदिर खोला का सौन्दर्यीकरण	11.52	10.04	5.00	ग्रा0अभि0सेवा पौडी
	योग	68.043	61.34	25.00	

(रू0 पचीस लाख मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नदी देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय समय के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम परीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत–आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी थी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– धनराशि के व्यय के पूर्व सम्बन्धित नगर पालिका / नगर पंचायत / मंदिर समिति से सम्बन्धित योजना के संरक्षण कार्य कराने की लिखित बचनबद्धता ले ली जायेगी।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
7– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति करना आवश्यक होगा।
8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाए।
11– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो से शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।
13– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
14– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
15– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
16– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
17– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक–5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
18– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–772/वित्त अनु0–3/05 दिनांक 29 मार्च, 2005 में उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या /VI/2005–44 पर्य0 2004/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी पिथौरागढ, उत्तरकाशी, गढ़वाल।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी पिथौरागढ, उत्तरकाशी, पौडी।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव

संख्या : 290 / VI / 2005–2(1) / 2005

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेल नगर देहरादून उत्तराखण्ड।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2005

विषय :– पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत धनावंट विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–594 / 2–6–471 / 04–05 दिनांक 24–2–2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं हेतु रू0 30.85 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 27.62 लाख के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 15.00 (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि के व्यय करने की भी संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रस.	योजना का नाम	योजना की मूल लागत	टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	रिखणीखाल में यात्री निवास का निर्माण	12.23	10.13	5.00	ग्रा0 अभि0 सेवा, पौडी
2	जगड़गांव से गुप्तसेन पर्यटक स्थल का सौन्दर्यीकरण / विकास	18.62	17.49	10.00	उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
	योग	30.85	27.62	15.00	

(रु0 पन्द्रह लाख मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नदी देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय समय के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत–आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी थी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाए।
10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो से शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।
12– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
14– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक–5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
17– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–923/वित्त अनु0–3/05 दिनांक 29 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या /VI/2005–2(1) 2004/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौड़ी/उत्तरकाशी,।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी पौड़ी/उत्तरकाशी,
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या 287 / VI / 2003–292 / पर्य0 / 2003

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेल नगर देहरादून उत्तराखण्ड।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2005

विषय :– जिला योजना 2004–05 के अन्तर्गत धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–189 / 2–6–215 / 04 दिनांक 24–7–2004 के संदर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटक सिलों के सौन्दर्यीकरण / विकास हेतु निम्नलिखित योजनाओं हेतु रु0 7.53 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रु0 6.84 लाख के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 रु0 4.50 लाख (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को डिपोजिट के रूप में व्यय करने की भी संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रस.	योजना का नाम	योजना की मूल लागत	टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	जो गर्जिया देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	6.00	5.34	3.00	रामनगर वन प्रभाग रामनगर नैनीताल
2	ग्राम मंजियाली में सूर्य देवता मंदिर का सौन्दर्यीकरण	1.53	1.50	1.50	ग्रा0 अभि0 सेवा, उत्तरकाशी
	योग	7.53	6.84	4.50	

(रु0 चार लाख पचास हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नदी देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय समय के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत–आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी थी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाए।
10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो से शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।
12– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
14– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक–5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
17– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–923/वित्त अनु0–3/05 दिनांक 29 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या : /VI/2005–292 पर्य/2003/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी नैनीताल/उत्तरकाशी,।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल/उत्तरकाशी,
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या : 292 / VI / 2005–3(12) / 2004

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेल नगर देहरादून उत्तराखण्ड।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2005

विषय :– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–455 / 2–6–347 / 02 दिनांक 30–10–2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन विकास परिषद के नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रु0 336.987 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रु0 327.40 लाख की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रु0 60.00 लाख (रु0 साठ लाख मात्र) की धनराशि के व्यय करने को भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नदी देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत–आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी थी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो से शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।

12– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
14– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक–5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
17– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–761/वित्त अनु0–3/05 दिनांक 29 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या : /VI/2006–3(12) 2004/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी देहरादून।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या : 288 / VI / 2005–3(14) / 2004 टी0एस0

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
देहरादून उत्तराखण्ड।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2005

विषय :– पर्यटन की नई योजनाओं के अन्तर्गत केलाखेड़ा उधमसिहंनगर को स्ट्रीट लाई/ विकास कार्य/पार्कों का निर्माण सुलभ शौचालयों का निर्माण यात्री शेड एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन की नई योजनाओं के अन्तर्गत केलाखेडा उधमसिंहनगर को स्ट्रीट लाईट/विकास कार्य/पार्कों का निर्माण सुलभ शौचालय का निर्माण यात्री शेड एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु रू0 50.84 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव रू0 49.54 लाख की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तय वर्ष 2004–05 में रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकारी नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत–आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाए।

8– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा जय जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

10– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

11– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

12– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगों सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

14– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
15– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक–5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
17– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1163/वित्त अनु0–3/05 दिनांक 29 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या /VI/2005–3 (14) टी0सी0/2004/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी उधमसिंहनगर।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव

संख्या 284 / VI / 2005–76(पर्य0) / 2004

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
देहरादून उत्तराखण्ड।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2005

विषय :– श्रीनगर पौड़ी गढवाल में डेन्सिफिकेशन प्लांट / लम्पिंग प्लांट लगाये जाने हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पत्र संख्या 376 / ई0 अनु0 9 दिनांक 22.07.04 (छायाप्रति संलग्नक सहित संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में डेन्सिफिकेशन प्लांट / लम्पिंग प्लाट स्थापित किये जाने हेतु रू0 33.09 लाख के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रूपये 29.35 लाख (रूपये उन्नतीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में इतनी ही धनराशि को डिपाजिट के रूप में आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिखे बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक होती है।

12– कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और विलम्ब व अन्य कारणों से इसकी लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

13– कार्य को यथाशीर्ध पूर्ण किया जायेगा और इसका मासिक व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

14– कार्य को गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
15– उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से रू0 1.00 लाख राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखण्ड को उक्त प्लांट के अनुश्रवण एवं डोकेमेन्टेशन के लिए गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
16– उक्त प्लांट की स्थापना के उपरांत इसके संचालन एवं रखरखाव का दायित्व राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड का होगा।
17– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
18– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1149/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 24 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या /VI/2004–76 (पर्य0) 2004 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौड़ी।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी पौड़ी।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. प्रबन्ध निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
11. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या 170 / VI / 2005–3(14) / 2004 टी0सी0

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेलनगर देहरादून उत्तराखण्ड।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 24 मार्च 2005

विषय :– ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 565 / 2–6–449 / 2004–05 दिनांक 17 फरवरी 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की निम्नलिखित योजनाओं हेतु रु0 68.66 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रु0 57.74 लाख (रूपये सतावन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में इतनी ही धनराशि के व्यय करने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रस0	योजना का नाम	योजना की मूल लागत	टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2004–05 में जारी की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई का नाम
1	नोंग चौडारी मुहल्ले से औली फुट ट्रेक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण	15.05	12.20	12.20	नगर पालिका परिषद जोशीमठ चमोली
2	नगर पालिका चुंगी चौकी से सिंहधार होते हुए मारवाड़ी तक पुराने बद्रीनाथ पैदल मार्ग का निर्माण	13.20	11.56	11.56	तदैव
3	मारवाडी से श्री बद्रीनाथ मोटर मार्ग से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तक सम्पर्क सडक निर्माण	13.87	11.58	11.58	तदैव
4	नृसिंह मंदिर मोटर मार्ग से केन्द्रीय विद्यालय होते हुये चुंगी तक हल्के वाहन हेतु मार्ग का निर्माण	26.54	22.40	22.40	तदैव
	योग	68.66	57.74	57.74	

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिखे बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ विश्व करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।

12– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि कार्य/योजना पूर्ण होने के उपरांत सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईनबोर्ड स्थापित किया जायेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया गया है। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा कार्य का भौतिक निरीक्षण कर योजना पूर्ण होने की सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

13– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

14– आगणन कें जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

15– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री का प्रयोग में लाया जाए।

16– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

17– निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ही निर्माण इकाई द्वारा कार्यो को पूर्ण कराने का एक समयबद्ध कार्यक्रम (पर्ट चार्ट) प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसी के अनुरूप समयबद्ध आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

18– जिस नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत द्वारा कार्य कराया जा रहा है उससे लिखित वचनबद्धता प्राप्त कर ली जायेगी कि उक्त कार्य/कार्य के अनुरक्षण का दायित्व भी उसी का होगा। स्ट्रीट लाइट का विद्युत देयता का भुगतान नगर पंचायत/परिषद् द्वारा किया जायेगा।

19– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–796–ट्राइबल सब प्लान–02–अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–पर्यटन विकास की नई प्लान–02–अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–पर्यटन विकास की नई परियोजनायें–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

20– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–539/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 19 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे है।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या : /VI/2004–3(14) 2004 टी0सी0 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी चमोली।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी चमोली।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
10. वरिष्ठ शोध अधिकारी समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ट उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या : 287 / **VI** / 2005–3(7) / 2005

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
देहरादून उत्तराखण्ड।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 24 मार्च 2005

विषय :– राजकीय होटल मैनेमेंन्ट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून के मुख्य भवन की मरम्मत / जीर्णोद्वार एवं अनुरक्षण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–631–6–1–34 / 04 दिनांक 10–3–2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय होटल मैनेमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून के मुख्य भवन की मरम्मत / जीर्णोद्वार एवं अनुरक्षण कार्यो हेतु रू0 37.02 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरांत संस्तुत धनराशि रू0 34.00 लाख के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।

12– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
14– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–02–पर्यटन परिषद के लिए आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
17– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1107/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 24 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या /VI/2005–3(7) 2005/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी देहरादून।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी देहरादून।
5. प्रधानाचार्य राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
8. अपर सचिव, नियोजन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
11. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या : 198 / VI / 2005–3(7) / 2004

प्रेषक,

एन0एन0 प्रसाद
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेलनगर देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 21 मार्च 2005

विषय :– रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) में प्रस्तावित झील के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 356 / 2–6–445 / 2004 दिनांक 08.11.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) में प्रस्तावित झील के निर्माण हेतु रू0 250.00 लाख के आगणनो के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रु0 238.00 लाख के आगणनों की प्रशासनिक स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिखे बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।

12– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

14– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16– कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और इसके विलम्ब के कारण कोई लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगा।
17– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
18– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–882/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 18 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय
ह0/–
(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव

संख्या : /VI/2005–3 (7) 2004 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी उधमसिंहनगर।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(एन.एन. प्रसाद)
सचिव

संख्या 124 / VI / 2005–157 / पर्य0 / 2001

प्रेषक,

एo केo घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
पर्यटन निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 14 मार्च 2005

विषय :– वित्तीय वर्ष 2001–02 में जिला अनुश्रवण समितियों से अनुमोदित पर्यटन विभाग की पर्यटन स्थलों के विकास / सौन्दर्यीकरण हेतु अवशेष धनराशि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनदोश संख्या–223 / पo अo / 157 / पर्यo / 2001 दिनांक 11 फरवरी 2002 एवं शासनादेश सं0–81 / पo अo / 2002–130 पर्यo / 2002 दिनांक 15 मार्च 2003 तथा आपके पत्रांक संख्या 550 / 2–6–215 / 04–05 दिनांक 4 फरवरी 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2001–02 में टीo एo सीo द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 6.00 लाख में से उक्त वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि रू0 1.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2002–03 में स्वीकृत धनराशि रू0 3.00 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2004–05 में सम्पूर्ण अवशेष रू0 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्रस0	योजना का नाम	टीo एo सीo द्वारा अनुमोदित धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2001–02 में स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2002–03 में स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही सम्पूर्ण अवशेष धनराशि (लाख रू0 में)
	जनपद–उत्तरकाशी				
1–	ग्राम सभा नाकुरी में अश्व मार्ग का निर्माण / सौन्दर्यीकरण	6.00	1.00	3.00	2.00
	योंग	6.00	1.00	3.00	2.00

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिखे बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– उक्त योजना पर धनराशि आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपद हेतु आवंटित प्लान परिव्यय के अनुरूप ही हो, अथवा संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

7– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस योजनाओं हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति न हुआ हो। इस हेतु सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
8– योजना/कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित निर्माण एजेन्सी उक्त कार्य स्थल पर इस आशय का एक साइन बार्ड स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना यथा समय शासन कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।
11– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरा में व्यय कदापि न किया जाय।
12– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
13– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
14– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–05 तक उपयोग कर लिया जायेगा अन्यथा अवशेष धनराशि सन को समर्पित कर दी जायेगी।
15– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80– सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना 07–पर्यटक स्थल सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
16– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 431/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 22 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्याः /VI/2005–157/पर्य0/2001 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या 231 / VI / 2004–58 / पर्य0 / 2004 टी0सी0

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
पर्यटन निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः

देहरादून : दिनांक 11 मार्च 2005

विषय :– वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के भूमि अध्याप्ति / क्रय मद में प्राविधानित सम्पूर्ण अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–748 / VI / 2004–58 पर्य0 / 04 दिनांक 29 अक्टूबर 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में स्वीकृत धनराशि को घटाते हुये के स्थान पर प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) में से सम्पूर्ण अवशेष पढ़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपरोक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0 / –
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– / **VI** / 2004–58 पर्य0 / 2004 टी0सी0 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
6. नियोजन विभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0 / –
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या 118 / VI / 2005–3(6) 2004 टी0सी0–।।

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः

देहरादून : दिनांक 10 मार्च 2005

विषय :– जिला योजना 2004–05 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु जिला योजना में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–556 / 2–6–215 / 04 दिनांक 9–2–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना 2004–05 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु रु0 27.11 लाख के आगणनों के सापेक्ष टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रुपये 23.45 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में निम्नलिखित योजनाओं हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 23.45 लाख (रूपये तेइस लाख पैतालिस हजार मात्र) की धनराशि को डिपाजिट के रूप में आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.स.	योजना का नाम	योजना का मूल आगणन	टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	मार्गीय सुविधा चिरबटिया	9.11	8.05	8.05	गढवाल मण्डल विकास निगम देहरादून।
2	मार्गीय सुविधा तिलबाड़ा	8.48	7.40	7.40	–तदैव–
3	मार्गीय सुविधा, ऊखीमठ	4.76	4.00	4.00	–तदैव–
4	मार्गीय सुविधा, गुप्तकाशी	4.76	4.00	4.00	–तदैव–
	योग	27.11	23.45	23.45	

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यापी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृत प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरे शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हों और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत ही हो।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

11– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

12– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

13– जिन कार्यों पर द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है, उनमें व अन्य योजनाओं में भी प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही दूसरी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

14– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जनपद स्तर पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो एवं जनपद को आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हो।

15– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना–07–पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें 42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

16– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–725/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 10 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– /**VI**/2005–3(6)2004 टी.सी.–।। तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. वित्तीय अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
5. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. जिला पर्यटन विकास अधिकारी रूद्रप्रयाग।
7. एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या 288 / VI / 2005–3(6) 2004

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 11 मार्च 2005

विषय :– जिला योजना 2004–05 के अन्तर्गत पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा विकास के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–495 / 2–6–215 / 04 दिनांक 13–1–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की निम्नलिखित योजनाओं हेतु रू0 35.578 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रुपये 31.89 लाख (रुपये इक्तीस लाख नवासी हजार मात्र) के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित इसके विपरीत चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रु0 21.39 लाख (रुपये इक्कीस लाख उन्तालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.स.	योजना का नाम	योजना का मूल लागत	टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2004–05 में जा की रही धनराशि	निर्माण इकाई का नाम
1	सल्ड महादेव मंदिर नैनीडाण्डा परिसर का सौन्दर्यीकरण (जनपद पौडी)	8.06	7.38	7.38	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पौड़ी
2	जनपद उत्तरकाशी ओसला से हरकीदून ट्रैक मार्ग का सुधार / जीर्णाद्वार	6.00	5.91	5.91	राजाजी नैशनल पार्क देहरादून।
3	श्री राजा रघुनाथ मंदिर सिसाला का सौन्दर्यीकरण	4.35	4.30	4.30	खण्ड विकास अधिकारी नौगांव
4	गुन्दियाट गांव से सरताल तक पैदल मार्ग की मरम्मत एवं यात्रियों के विश्राम हेतु रैनशेड	15.33	12.50	2.00	टौन्स वन प्रभाग पुरोला
5	धमज्योति बुद्व विहार एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण	1.836	1.80	1.80	जिला पंचायत उत्तरकाशी
	योग	35.576	31.89	21.39	

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यापी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृत प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरे शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा उक्तानुसार जनपदवार योजना एवं परिव्यय अनुमोदित हो।
8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।
9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
11– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।
13– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि कार्य/योजना पूर्ण होने के उपरांत सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईनबोर्ड स्थापित किया जायेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया गया है सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा कार्य का भौतिक निरीक्षण कर योजनापूर्ण होने की सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा योजना के पूर्ण होने पर उनका रख–रखाव ग्राम पंचायत/वन विभाग/नगर पंचायत जैसी स्थिति हो द्वारा किया जायेगा।
14– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
15– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
16– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
17– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
18– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना–07–पर्यटन सीलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
19– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–769/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 11 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संख्या– /**VI**/2005–3(6)2004 तद्दिनांकित।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौड़ी/उत्तरकाशी।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी पौडी/उत्तरकाशी।
5. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव नियोजन।
8. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या : 234 / VI / 2005–5 पर्य0 / 9

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः

देहरादून : दिनांक 14 मार्च 2005

विषय :– केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–112 / VI / 2005–05 पर्य0 / 97, दिनांक 9–2–2005 के क्रम में आपके पत्रांक–616 / 2–7–364 / 04 दिनांक 06.03.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना 2004–05 में केन्द्र वित्त पोषित योजना हेतु रु0 595.72 लाख संगत मद से एवं रु0 300.00 लाख संलग्न तालिकानुसार व बी0एम0–15 के विवरणानुसार के अनुदानोन्तर्गत उपलब्ध बचतों से अर्थात कुल रु0 895.72 लाख में से कुल रु0 895.72 लाख (रूपये आठ करोड़ पिचानब्बे लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को डिपाजिट के रूप में आहरित कर व्यय करने की भी स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। उक्त धनराशि में रू0 892.67 लाख का केन्द्रांश व रू0 3.05 लाख का राज्यांश सम्मिलित है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यापी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृत प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

12– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

13– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत योजनाओं हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं हुआ हो अथवा स्वीकृत योजनाओं हेतु धनराशि का दोहरा आहरण न किया जायं। इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

14– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद व्यय कदापि न किया जाए।

15– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

16– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगों सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

17– कार्य गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

18– निर्माण कार्यो/योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत इनके संचालन की विधिवत व्यवस्था/एग्रीमेंन्ट करने के उपरांत ही संबंधित नामित संस्था के संचालन हेतु दी जाये।

19– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

16– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–757/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 11 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– /VI/2005–5 पर्य0/97 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ, उत्तरकाशी, पौड़ी।
4. निजी सचिव मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
8. अपर सचिव नियोजन।
9. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या 234 / VI / 2005–5 पर्य0 / 97 दिनांक 14 मार्च, 2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.स.	योजना का नाम	केन्द्रांश जो भारत सरकार से अवमुक्त किया गया है	अवमुक्त की जा रही धनराशि		योग
			केन्द्रांश	राज्यांश	
1	दयारा बुग्याल (जनपद उत्तरकाशी) सर्किट का पर्यटन विकास	429.08	337.70	–	337.70
2	पौड़ी–खिर्सू–लैंसडोन डेस्टिनेशन का पर्यटन विकास	361.60	250.00		250.00
3	रैथल में एफ0आर0सी0 हटस का निर्माण	4.97	4.97	3.05	8.02
4	पिथौरागढ़–मुनस्यारी–बेरीनाग– कुमायूं डेस्टिनेशन का पर्यटन विकास	344.88	300.00		300.00
	योग	1140.53	892.67	3.05	895.72

(रु0 आठ करोड़ पिचानब्बे लाख बहत्तर हजार मात्र)

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग का विवरण पत्र 2004–05

नियंत्रण अधिकारी–निदेशक पर्यटन, उत्तरांचल देहरादून

(धनराशि हजार रू0 में)

अनुदान संख्या–26

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104– सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04–निर्माण कार्य चालू–24– वृहत् निर्माण कार्य	3,52,25	1,11,24	3,00,00 (क)	5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104–सम्वर्द्धन तथा प्रचार–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02 –पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण–42 अन्य व्यय 3,00,00 (ख)	सकल धनराशि 11,00,00	–	(क) वास्तविक व्यय के पश्चात बचत सम्भावित है। (ख) अपर्याप्त होने तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिक धनराशि अवमुक्त करने तथा उसके विपरीत बजट प्राविधान कम होने के कारण।
रू0 8,00,00,	3,52,25	1,11,24	3,00,00	3,00,00	11,00,00	–	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधान एवं सीमाओं का उल्लधंन नहीं होता है।

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या 757 वि0अनु0–3/2005
देहरादून : दिनांकः 11 मार्च, 2005

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या 234/VI/2005–5 पर्य0/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–3

संख्या : 132 / VI / 2005–5 पर्य0 / 03

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 17 फरवरी 2005

विषय :– देहरादून में आयोजित फोक फेस्टिवल, विरासत, 2004 हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद देहरादून के पत्र संख्या 472 / 2–9–04 दिनांक 07–01–05 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय वित्त पोषित योजनान्तर्गत विरासत, 2004 के लिए अवमुक्त केन्द्रांश के विपरीत इतनी ही रू0 7.50 लाख (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2004–05 में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय व्ययक की अनुदान सं0–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधायें का निर्माण–42–अन्य व्यय' की मद के नामें डाला जायेगा। व्यय उन्हीं मदों / योजनाओं पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–54 वि0 अनु0–3 / 2005 दिनांक 09 फरवरी 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0 / –
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– / **VI** / 2005–103 पर्य0 / 2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री एल0एम0 पंत अपर सचिव वित्त।
5. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन अनुभाग–3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0 / –
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– 204 / VI / 2005–3(6)2004 टी0सी0

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
पर्यटन निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून : दिनांक 05 मार्च 2005

विषय :– जिला योजना 200–05 के अधीन पर्यटक सीलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु जिला योजनान्तर्गत धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–453 / 2–6–215 / 2004 दिनांक 28 दिसम्बर 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जिला योजना 2004–05 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु रू0 10.31 लाख (रुपये आठ लाख तेइस हजार मात्र) की लागत के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 में रू0 8.23 लाख (रुपये आठ लाख तेइस हजार मात्र) की धनराशि को डिपाजिट के रूप में आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैः–

क्र.स.	योजना का नाम	योजना का मूल आगणन (रू0 लाख में)	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत / स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रू0 में)	निर्माण इकाई
	जनपद–उत्तरकाशी			
1	बगोड़ी में भडेश्वर मंदिर का सौन्दर्यीकरण	3.69	2.92	खण्ड विकास अधिकारी चिन्यालीसौड
2	कुटेटी देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	1.67	1.30	ग्रा0 अभि0 सेवा उत्तरकाशी
3	ग्राम पोरा विकास खण्ड पुरोला में इको पार्क का निर्माण	1.99	1.58	ग्रा0अभि0 सेवा उत्तरकाशी
4	बनकोट में हूण देवता मंदिर तक ट्रैक मार्ग का सौन्दर्यीकरण	1.46	1.20	ग्रा0अभि0 सेवा उत्तरकाशी
5	भैगवाल गांव में भैरव देवता मंदिर तक ट्रैक निर्माण / सौन्दर्यीकरण	1.50	1.23	ग्रा0अभि0 सेवा उत्तरकाशी
	योग :–	10.31	8.23	ग्रा0अभि0 सेवा उत्तरकाशी

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यापी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृत प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरे शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8– उक्त योजना पर धनराशि आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हों और जनपद हेतु आवंटित प्लान परिव्यय के अनुरूप ही हो, अथवा संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।
9– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन योजनाओं हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति न हुआ हो। इस हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
10– योजना/कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित निर्माण एजेन्सी उक्त कार्य स्थल पर इस आशय का एक साइन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। कार्यपूर्ण होने के उपरान्त संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
11– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
12– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
14– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16– जिन योजनाओं में दूसरी किस्त दी जानी है उनमें अब स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिये जाने के बाद ही दूसरी किस्त निर्गत की जायेगी।
17– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–91– जिला योजना 07– पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
18– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–545/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 25 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक यथोपरि।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– /VI/2005–5(6)2004 टी0सी0 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या–197 / VI / 2005–3(11) / 2004

प्रेषक,

एन0एन0 प्रसाद,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन
पटेलनगर देहरादून।

पर्यटन अनुभागः

देहरादून : दिनांक 04 मार्च 2005

विषय :– पर्यटन परिषद के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण के अन्तर्गत जिला पर्यटन विकास कार्यालय चम्पावत के कार्यालय भवन का निर्माण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–538 / 2–6–465 / 2004 दिनांक 2–2–2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला पर्यटन विकास कार्यालय चम्पावत के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रू0 25.29 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 18.92 लाख की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यापी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृत प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरे शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–05 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरांत ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाये और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
14– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
15– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–02–पर्यटन परिषद के लिए आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
18– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–587/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 28 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक यथोपरि।

भवदीय
ह0/–
(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव

संख्या– /VI/2005–3(11)2004 /तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी चम्पावत।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन।
8. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव

संख्या–218 / VI / 2005–51(पर्य0)2003 टी0सी0

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 11 मार्च 2005

विषय :– वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता मद हेतु स्वीकृत धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–268 / प0अ0 / 2004–51(पर्य0)2003 दिनांक 26 अप्रैल 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग हेतु 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता मद में रू0 2.00 करोड (दो करोड मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यापी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृत प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– यदि स्वीकृति की जा रही धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन मदों हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत किया गया हो उस हेतु पुनः धनराशि कदापि स्वीकृत न किया जाय। इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452– पर्यटन–सामान्य –आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03– उत्तरांचल राज्य पर्यटन विकास परिषद–00–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

8– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–773 / वित्त अनु0–3 / 2005, दिनांक 11 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0 / –
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या : 218 / VI / 2005–51 (पर्य0)2003 टी0सी0 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त।
6. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0 / –
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या–42 / VI / 2005–76(पर्य0)2003

प्रेषक,

ए0के0 घोष
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
पर्यटन निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभागः

देहरादून : दिनांक 05 मार्च 2005

विषय :– ग्यारहवें वित्त आयोग योजनान्तर्गत अवशेष सम्पूर्ण धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–937 / VI / 2004–76 पर्य0 / 2003, दिनांक 27 दिसम्बर 2004 एवं आपके पत्रांक–473 / 2–6 / 338 / 2003–04 दिनांक 7 जनवरी 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ग्यारहवें वित्त आयोग के अधीन स्वीकृत अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 3.00 करोड़ (रूपये तीन करोड मात्र) को व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यापी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय ओर उक्त धनराशि का व्यय 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं की शासन स्तर पर गठित समिति के द्वारा अनुमोदित लागत के अनुसार ही किया जायेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरे शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर वयय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

12– इन कार्यों पर प्रथम एवं द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है। अतः इन योजनाओं में भी प्रथम व द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही अगली किस्त आहरित की जायेगी। ग्यारहवें वित्त आयोग का कार्य समयबद्ध आधार पर दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। यदि धनराशि स्वीकृति के उपरान्त भी निर्माण कार्य में विलम्ब किया जाता है तो इस हेतु सम्बन्धित

कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानी जायेगी। उक्त तिथि को शासन को योजनावार व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध करा दिया जायेगा।

13– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–01– आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 04– ग्वारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत यात्रा मार्गों का विकास (के0स0)–24 वृहद निर्माण कार्य मानक मद के नामें डाला जायेगा।

14– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–583/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 1 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– /VI/2005–76 पर्य0/2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/चमोली/रूद्रप्रयाग।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी/चमोली/रूद्रप्रयाग।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एल0एम0 पन्त अपर सचिव वित्त।
7. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–3

संख्या 47 / वि0अनु0–3 / 2005

देहरादून : दिनांक 28 जनवरी 2005

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांग पर केन्द्र सरकार के वेतनमानों से समानता के सिद्धान्त पर 01.01.1986 से राज्य सरकार द्वारा गठित समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर एक बार समान वेतनमान स्वीकार किया गया था। कर्मचारी संघों द्वारा समय–समय पर वेतन विसंगतियों का प्रकरण पूर्व में वेतन विसंगति समिति, बजाज समिति तथा मुख्य सचिव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं तथा ऐसे प्रकरणों में गुण–दोष के आधार पर निर्णय भी लिया गया, जो वर्तमान में उत्तरवर्ती दोनों राज्यों में समान रूप से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–74 में इस आशय का स्पष्ट प्राविधान है कि राज्य के विभाजन के कारण सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्ते अलाभकारी नहीं होनी चाहिए। अतः पूर्व से स्थापित सिद्धान्तों एवं वेतन विसंगति हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों को पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के प्रभाजन के बाद उत्तरवर्ती राज्यों में लागू किया गया।

कतिपय संघों द्वारा कुछ विसंगतियों पर उत्तरांचल राज्य में अलग से विचार करने की मांग को दृष्टि में रखते हुए उत्तरांचल फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज ऐसोसियेशन की मांग पर वेतन विसंगति पर विस्तार कर राज्य सरकार को अपनी संस्तुतियों देने हेतु अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या 001 / वि0अनु0–3 / 2005 दिनांक 03.01.2005 द्वारा गठित की गयी है। उक्त संध के अतिरिक्त वेतन विसंगति के प्रकरणों में अन्य महासंघ, संघ, परिषद्, संगठन द्वारा भी मांग प्रस्तुत की गयी है कि वेतन विसंगति के समस्त प्रकरणों पर उक्त समिति द्वारा ही विचार किया जाये।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित महासंघ / संध परषिद /संगठन/ विसंगति समिति के निर्णय तथा वर्तमान में पूर्व निर्णयों के क्रम में विसंगति के आधार प्रस्तुत करने पर समिति के समक्ष सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से पूर्व निर्णयों के विस्तृत अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर समिति विसंगतियों पर विचार कर राज्य सरकार को अपनी संस्तुति देगी।

आज्ञा से

ह0 / –

(इन्दु कुमार पाण्डे)

प्रमुख सचिव

संख्या : 47 / (1) / वि0 अनु0–3 / 2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, एवं उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को इस आशय से कि मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर सकें।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एमक देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

ह0 / –

(टी0एन0 सिंह)

अपर सचिव